Other officers were deputed on receipt of specific requisition from the ITI by name.

(c) Obviously, reference is to Finance Ministry's orders. Officers on deputation prior to Finance Ministry's orders dated 26 2.69 can exercise such option by 31.8 71. The question of permanent absorption in ITI or reversion to P and T Department of such officers is being processed and will be finalised before the aforesaid date. The remaining officers will be given such an option at the appropriate time in accordance with Finance Ministry's orders on the subject.

छोटे किसानों को सहायता

128. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** . क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की घोषित नीति के अन्तर्गत कितने छोटे किसानो को सहायता दी गई ; और

(ख) उक्त सहायता की शर्तें क्या है और क्या सरकार ने कृषि ओजारो की दरो मे भी कुछ छट दी है जिससे किसान उचित मूल्य पर उन्हे प्राप्त कर सकें ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). सरकार की घोषित नीति है कि वह उत्पादन कार्यक्रमो को बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को ऋण प्रदान करने तथा अन्य सुविधाये देने मे सहायता करेगी, जिस से वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें।

2. जहा तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, दो केन्द्रीय क्षेत्र की मार्गदर्शी योजनायें— (i) छोटे किसानो के लिए, जो कि सम्भाव्य सक्षम है (सामान्यत: जिनके पास 2.5 एकड़ के बीच भूमि है) तथा अन्य (ii) सीमान्त किसानों (सामान्यत; जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है) और कृषि मजदूरों की सहायता के लिए, क्रियान्वित की जा रही है। छोटे किसानो की योजना (छोटे किसानों की विकास एजेन्सी) के अंतर्गत, देश के विभिन्न भागो में 46 परियोजनायें चालू की जायेगी। सीमान्त कृषको तथा कृषि मजदूर परियोजना के अन्तर्गत 41 परियोजनाओं पर कार्य किया जायेगा। चौथी पंचवर्षीय योजका की शेष अवधि के दौरान, छोटे किसानो की प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत लगभग 50,000 छोटे किसानों को, जो सम्भाव्य सक्षम है, सक्षम बनाने के लिए सहायता की जायेगी। इसी प्रकार सीमान्त कृषकों तथा कृषि मजदूरो की परियोजना के अन्तर्गत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा क्रिया-कलापो के विस्तार करने एवं प्रत्येक परियोजना से अधिक आय प्राप्त करने के लिए, लगभग 15000 सीमान्त कृषको और लगभग 5000 कृषि मजदूरो को ऋण तथा अन्य सुविधायें देने से सहायता की जायेगी। इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इन दो कार्यक्रमो के अतर्गत 5 एकड़ से कम वाले कुल 30 लाख छोटे किसानो को सहायता की जायेगी। प्रत्येक छोटे किसानो की विकास एन्जेसी के क्षेत्र मे, गठित एजेन्सी, सहकारी सस्थाओ और अन्य संस्थाओ को ऋण तथा अन्य सुविधायें देने मे छोटे किसानों की सहायता करेगी। उत्पादन के लिए ऋण तथा अन्य सेवाओं को प्रदान करने के सम्बन्ध में इन योजनाओ की कार्यान्विति, छोटे किसानो की समस्यायें हल करने हेतु अपनाये जाने वाले उपायों पर सामान्यत. प्रकाश डालेगी।

3. छोटे किसानों की विकास एजेन्सी योजना के अन्तर्गत, छोटे किसानों को ग्राम तौर

पर पूंजीगत लागत पर 25 प्रतिशत राज-सहायता दी जाती है ताकि वे विनियोजन के लिए आवश्यक ऋण प्राप्त कर सकें। सीमान्त किसानों की योजना के अधीन, जहां कि ऋणी की ऋण लौटाने की क्षमता का स्तर निम्न है, राज-सहायता बढ़ाकर 33-1/3 प्रतिशत कर दी गई है। इन योजनाओं के अधीन ही छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए ऐसी सुविधायें उपलब्ध है। केन्द्रीय क्षेत्र योजना क्षेत्रों के छोटे और सीमान्त किसानों को मशीनरी तथा उन्नत कृषि उपकरणों के प्रयोग के लिए विशेष सुविधायें भी दी जा रही है। ऐसे छोटे किसानों को ये सुविधायें उपलब्ध करने के लिए, उन्हें छोटे किसानों की विकास योजना क्षेत्रों के अन्तर्गत 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिक क्षेत्रों के अन्तर्गत 33-1/3 प्रतिशत तक दरों में छूट दी जाती है।

4. छो० कि० वि० यो०/ सी० कि० तथा कृ० श्र० एजेन्सियों, छोटे किसानों/ सीमान्त किसानों/ कृषि श्रमिकों को ऋण देने की और प्रोत्साहित करने के लिए, सहकारिताओं को निश्चित दर पर अग्रिम धन पर जोखिम निधि अंशदान प्रदान कर रही है। 1968-69 के दौरान सहकारिताओं द्वारा ऋण के रूप में दी जाने वाली कुल राशि का लगभग 68 प्रतिशत ऋण 1000 रु० या उससे कम राशि में दिया गया। इन में से लगभग 46 प्रतिशत ऋण 500 रु० या उससे कम राशि में दिया गया।

5. वाणिज्यिक बैंक, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में, अधिकाधिक छोटे कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के साथ कृषकों के सीधे अग्रिम लेखों की संख्या 30-6-69 में 1.72 लाख से बढ़ कर नवम्बर 1970 के अन्त तक 7.71 लाख तक पहुंच गई है। सार्वजनिक बैंकों की काश्तकारों की ओर देय राशि उसी अवधि में 36.02 करोड़ से बढ़ कर 19.773 करोड़ तक पहुंच गई। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंक धीरे-धीरे छोटे कृषकों को अधिकाधिक ऋण दे रहे हैं। उदाहरणार्थ स्टेट बैंक के बैंक वर्ग ने 31-3-1970 तक कृषि कार्यों के लिए 2 लाख कृषकों को ऋण सहायता दी है। इन में से 0.90 लाख यानि 45 प्रतिशत छोटे कृषक थे जिन के पास 5 एकड़ तक भूमि थी। इस की तुलना में 31.12.69 को 41 प्रतिशत थे। स्टेट बैंक आफ इन्डिया ग्रुप के बैंकों के 31-3-70 को सभी कृषकों से 46-43 करोड़ रुपये बकाया थे जिसमें से 10.52 करोड़ रुपये उन छोटे कृषकों की ओर बकाया थे जिन की भूमि 5 एकड़ तक है।

Job Security to Employees in Foreign Oil Companies

129. SHRI RAJA KULKARNI : Will the Minister of LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the steps Government intend to take for implementing its resolution accepting main recommendations of Shri B. N. Gokhale Commission of Enquiry into job security to the employees in foreign oil companies, especially in the face of refusal on the part of the oil companies to abide by Government resolution ;

(b) whether Government propose to amend Industrial Disputes Act 1947 to gram effective protection to employees from loss of jobs and services ; and

(c) whether Government propose to appoint an Enquiry Committee to find out the nature and number of jobs contracted out by the foreign oil companies during the last ten years with the intention of reducing number of employees belonging to the oil companies ?

THE MINISTER OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b).